न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 101/2016 (2016/00223)

1. भगवानदास पुत्र जगदीश
2. सुरेशचन्द्र पुत्र जगदीश
3. धनराज पुत्र जगदीश

जाति महाजन निवासीगण ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

——वादीगण

♠ बनाम ♠

1. बंशीलाल पुत्र भूरालाल जाति महाजन निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज.) मृतक बजाय उसके वारिसान
   1/1. लीला पुत्री बंशीलाल
   1/2. शिमला पुत्री बंशीलाल
   1/3. शशीकला पुत्री बंशीलाल
   जाति महाजन निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज.)
3. छीतर पुत्र श्रीकिशन जाति माली निवासी ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज.)
4. चंडू देवी पत्नि सुगना जाति कुमावत निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज.)

—— प्रतिवादीगण

5. गीता पुत्री जगदीश
6. सीता पुत्री जगदीश
7. कैलाशचन्द पुत्र जगदीश
8. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश
9. रमेश पुत्र जगदीश
10. सुशीला पुत्री जगदीश पत्नि हरकचन्द मृतक जरिये वारिसान
    10/1 चन्द्रप्रकाश पुत्र हरकचन्द
    10/2 पार्वती पुत्री हरकचन्द
    10/3 अंजू पुत्री हरकचन्द
    10/4 शंकर पुत्र हरकचन्द

—प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,88,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 04/04/23

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी के जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 171 के खसरा नम्बर 1828, 1833, 1840, 1841, 1842, 1843, 1852, 1854 कुल किता 8 एवं खाता संख्या 289 के खसरा नम्बर 1850 का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 25.06.2018 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकड़ी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:–

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

क.स.	नाम खातेदार	खसरा न0	रकबा	किस्म
1	नन्दू पत्नि जगदीश, कैलाशचन्द, ओमप्रकाश, भगवानदास, रमेशचन्द, सुरेशचन्द, धनराज पिता जगदीश, सुशीला, गीता, सीता पिता जगदीश कौम महाजन सा0देह खातेदार राहिन कैलाशचन्द्र का हिस्सा पीएनबी शाखा केकड़ी	1854 1828 1852 1833	0.52 0.51 0.65 0.26	जाव 1 चाही 1 चाही1 जाव 1 चाही 1 चाही 1 जाव 1
		किता 4	रकबा 1.94 है0	
2	बंशीलाल वल्द भूरालाल कौम महाजन सा0 देह खातेदार	1840 1841 1842 1843 1833/1	0.20 0.35 0.13 0.32 0.94	बारानी 1 बारानी 1 चाही 3 जाव 3 जाव 3 चाही 1 जाव 1
		किता 5	रकबा 1.94 है0	
3	संयुक्त खातेदारी	1850	0.07	गै.मु.चाह
		किता 1	रकबा 0.07 है0	

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में अवगत कराया गया कि खसरा नम्बर बंशीलाल पुत्र भूरालाल कौम महाजन की दिनांक 07.06.2019 को मृत्यु हो चुकी है। वरवक्त बंटवारा मौके पर उपस्थित काश्तकारों ने जानकारी दी कि खातेदार बंशीलाल पुत्र भूरालाल महाजन ने अपने हिस्से की भूमि श्रीमति चंडू देवी पत्नि सुगना कौम कुमावत निवासी देवलियाखुर्द एवं श्री छीतर पुत्र श्रीकृष्ण माली सा0 देवलियाखुर्द को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 1379/2016 दिनांक 04.05.2016 व 1380/16 दिनांक 04.05.2016 से बेचान कर दी है तथा मौके पर भी बंशीलाल की भूमि पर क्रेतागण का ही कब्जा पाया गया है। नन्दू देवी व सुशीला भी फोत हो चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रार्थीगण छीतर माली व चंडू देवी द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया गया है कि जरिये विक्रयपत्र दिनांक 04.05.2016 को हम प्रार्थीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल से वादग्रस्त आराजीयात को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। क्रय करने की दिनांक से वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त स्वामित्व आधिपत्य, उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। मौका रिपोर्ट में भी हम प्रार्थीगण का कब्जा दर्शाया गया है। अतः प्रार्थीगण को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थीगण ने अपने पक्ष में उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों एवं बंशीलाल के मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटो प्रति पेश की है जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण लीला, शिमला एवं शशीकला द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. सपठित धारा 151 जाप्ता दीवान का पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल पुत्र भूरालाल की दिनांक 07.06.2019 को मृत्यु हो गयी है। मृतक बंशीलाल के स्थान पर उसके वारीसान लीला, शिमला, शशीकला पुत्रीयां बंशीलाल का नाम रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर पत्रांवली में संशोधित टाईटल पेश किया गया। वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व्य0प्रा0 संहिता का पेश कर निवेदन किया गया कि नन्दू देवी पत्नि जगदीश दिनांक 09.08.2008 को व सुशीला देवी पुत्री जगदीश दिनांक 04.11.2010 को फौत हो चुके है अतः नन्दू देवी पत्नि जगदीश के विधिक वारिसान – कैलाश, ओमप्रकाश, भगवान, रमेश, सुरेश, धनराज पिता स्व जगदीश प्रसाद, तथा सुशीला पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नि हस्कचन्द फौत जरिये वारिसान चन्द्रप्रकाश, पार्वती, अंजू, शंकर एवं गीता, सीता पुत्रियां जगदीश को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अंतिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्रों, रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रतियों एवं पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	किस्म
1	कैलाशचन्द, ओमप्रकाश, भगवानदास, रमेशचन्द, सुरेशचन्द, धनराज पिता जगदीश, गीता, सीता पिता जगदीश, चन्द्रप्रकाश, शंकरलाल पुत्र हरकचन्द्र, अन्जु देवी, पार्वती देवी पुत्रियां हरकचन्द कौम महाजन सा0देह खातेदार रहिन कैलाशचन्द्र का हिस्सा पीएनबी शाखा केकड़ी	1854 1828 1852 1833	0.52 0.51 0.65 0.26	जाव 1 चाही 1 चाही1 जाव 1 चाही 1 चाही 1 जाव 1
		किता 4	रकबा 1.94 है0	
2	छीतर पुत्र श्रीकिशन जाति माली सा0 देवलियाखुर्द, चंदू देवी पत्नि सुगना जाति कुमावत सा0 देवलियाखुर्द	1840 1841 1842 1843 1833/1	0.20 0.35 0.13 0.32 0.94	बारानी 1 बारानी 1 चाही 3 जाव 3 जाव 3 चाही 1 जाव 1
		किता 5	रकबा 1.94 है0	
3	क्र.सं. 1 एवं क्र.सं. 2 की संयुक्त खातेदारी	1850	0.07	गै.मु.चाह
		किता 1	रकबा 0.07 है0	

तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगान कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना –अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचाली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:— विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. भगवानदास पुत्र जगदीश
2. सुरेशचन्द्र पुत्र जगदीश
3. धनराज पुत्र जगदीश

जाति महाजन निवासीगण ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

——वादीगण

♠ बनाम ♠

1. बंशीलाल पुत्र भूरालाल जाति महाजन निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज)
   मृतक बजाय उसके वारिसान
   1/1. लीला पुत्री बंशीलाल
   1/2. शिमला पुत्री बंशीलाल
   1/3. शशीकला पुत्री बंशीलाल
   जाति महाजन निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज)
3. छीतर पुत्र श्रीकिशन जाति माली निवासी ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज)
4. चंडू देवी पत्नि सुगना जाति कुमावत निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज)

—— प्रतिवादीगण

5. गीता पुत्री जगदीश
6. सीता पुत्री जगदीश
7. कैलाशचन्द पुत्र जगदीश
8. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश
9. रमेश पुत्र जगदीश
10. सुशीला पुत्री जगदीश पत्नि हरकचन्द मृतक जरिये वारिसान
    10/1 चन्द्रप्रकाश पुत्र हरकचन्द
    10/2 पार्वती पुत्री हरकचन्द
    10/3 अंजू पुत्री हरकचन्द
    10/4 शंकर पुत्र हरकचन्द

—प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र:— अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर:— राजस्व वाद 101/2016 (2016/00223)
निर्णय दिनांक:— 04/04/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री लेन्सी डांवर, श्री शिवप्रसाद पारासर, श्री कमलेश कुमार शर्मा, पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:— अंतर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी के जमाबंदी संवत 2072—75 के खाता संख्या 171 के खसरा नम्बर 1828, 1833, 1840, 1841, 1842, 1843, 1852, 1854 कुल किता 8 एवं खाता संख्या 289 के खसरा नम्बर 1850 में निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.06.2018 की पालना में तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव एवं

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों के निस्तारण उपरांत वादवर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया गया--

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	किस्म
1	कैलाशचन्द, ओमप्रकाश, भगवानदास, रमेशचन्द, सुरेशचन्द, धनराज पिता जगदीश, गीता, सीता पिता जगदीश, चन्द्रप्रकाश, शंकरलाल पुत्र हरकचन्द्र, अन्जु देवी, पार्वती देवी पुत्रियां हरकचन्द कौम महाजन सा0देह खातेदार साहिन कैलाशचन्द्र का हिस्सा पीएनबी शाखा केकड़ी	1854 1828 1852 1833	0.52 0.51 0.65 0.26	जाव 1 चाही 1 चाही1 जाव 1 चाही 1 चाही 1 जाव 1
		किता 4	रकबा 1.94 है0	
2	छीतर पुत्र श्रीकिशन जाति माली सा0 देवलियाखुर्द, चंडू देवी पत्नि सुगना जाति कुमावत सा0 देवलियाखुर्द	1840 1841 1842 1843 1833/1	0.20 0.35 0.13 0.32 0.94	बारानी 1 बारानी 1 चाही 3 जाव 3 जाव 3 चाही 1 जाव 1
		किता 5	रकबा 1.94 है0	
3	क्र.सं. 1 एवं क्र.सं. 2 की संयुक्त खातेदारी	1850	0.07	गै.मु.चाह
		किता 1	रकबा 0.07 है0	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज .....मुबलिक.....बाबत.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

दस्तखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/04/23 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	———	———	मुतफरिक	———	———
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट-- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का वाद डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner